प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 49/2022)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण" पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 26 जुलाई 2022 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "**प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण**" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 3 मार्च 2022 के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया है कि वर्तमान एकीकृत लाइसेंस / एकीकृत लाइसेंस (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स) व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक सेवा प्राधिकारणों के लिए अलग-अलग प्रवेश शुल्क और दो अलग-अलग बैंक गारंटी यानी वित्तीय बैंक गारंटी और प्रदर्शन बैंक गारंटी का प्रावधान है।

2. इस पृष्ठभूमि में, डीओटी ने, अपने निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखते हुए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) के खंड 11 (1) (ए) की शर्तों के तहत भादूविप्रा से अपनी अनुशंसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया:

(i) प्रवेश शुल्क को कम किया जाना चाहिए और सभी प्राधिकारणों के लिए इसे एक समान किया जाना चाहिए ।

(ii) दोनों बैंक गारंटियों का विलय किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्राधिकार के लिए एक ही बैंक गारंटी की राशि निर्धारित की जानी चाहिए ।

3. इस संबंध में, "प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण" पर एक परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हितधारकों से उनकी राय मांगी गई हैं। हितधारकों के विचार प्राप्त करने के लिए परामर्श पत्र में विशिष्ट मुद्दों को उठाया गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 23 अगस्त 2022 तक और प्रति-टिप्पणियां 6 सितम्बर, 2022 तक आमंत्रित की जाती हैं।

4. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में fa@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अमित शर्मा, सलाहकार (वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर: +91-11-23234367 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा